डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2 डब्ल्यू-पी/505/98.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122/98.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 1998—आषाढ़ 5, शक 1920

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जून 1998

क्र. जी.-27-4-98-सी-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 है.

2. (1) ये नियम 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

(2) ये नियम कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के उन समस्त सदस्यों को लागू होंगे, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं.

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ख) "मूलवेतन" से अभिप्रेत है विद्यमान वेतनमान में सेवा के सदस्य द्वारा मंहगाई भत्ते एवं अंतरिम राहत तथा अन्य भत्तों को अपवर्जित करते हुए प्रतिमास आहरित की जा रही रकम;

(ग) "विद्यमान वेतनमान" से अभिप्रेत है वह वेतनमान जो अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शाया गया है;

(घ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का सदस्य, जो विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा हो;

(ङ) "पूर्व नियत उपलब्धियों" के अन्तर्गत है :—

(एक) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन,

(दो) 1-1-96 की स्थिति में मूल्य सूचकांक के औसत 1510 पर देय महंगाई भत्ता,

(तीन) अंतरिम राहत की प्रथम किश्त की राशि रुपये 75/- और

(चार) अंतिरम राहत की द्वितीय किश्त की राशि विद्यमान वेतनमान के अन्तर्गत मूल वेतन का 10 प्रतिशत, न्यूनतम 100 रुपये.

**स्पष्टीकरण** 1.— यदि इस प्रकार गणना किये गये कुल योग में एक रुपये का कोई भाग आता है तो उसे निकटतम रुपयों तक पूर्णांकित कर दिया जायेगा अर्थात, 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा और 50 पैसे या उससे अधिक को बढ़ाकर उससे आगे पूरा रुपया कर दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** 2.—जहां विद्यमान वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 96 को देय हो, वहां उसे मूल वेतन का भाग माना जायेगा।

(ङ.) "पुनरीक्षित वेतनमान":- से अभिप्रेत है वह तत्स्थानी वेतनमान जो अनुसूची के कालम (5) में कालम (3) में वर्णित, विद्यमान वेतनमान के सामने वर्णित है, जब तक कि उस पद के लिये कोई भिन्न पुनरीक्षित वेतनमान पृथक से अधिसूचित न किया गया हो।

4. **पुनरीक्षित वेतनमान**.—इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, विद्यमान वेतनमान वाले प्रत्येक पद का वेतनमान, यथास्थिति अनुसूची के कालम (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा।

5. **पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरण**.— इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का वह सदस्य, उस पद को, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा :

परन्तु वह विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन उस तारीख तक आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा जब तक कि वह अपनी आगामी वेतनवृद्धि या विद्यमान वेतनमान में पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है या जब तक कि वह उस पद को रिक्त नहीं कर देता या उस वेतनमान में अपना वेतन आहरित करना बंद नहीं कर देता।

6. **विकल्प का प्रयोग**.— (1) सेवा के किसी सदस्य द्वारा, नियम 5 के अधीन विकल्प का प्रयोग, नियम 9 में नियत प्रक्रिया का पालन करने की सहमति के अध्याधीन रहते हुये इन नियमों से संलग्न प्ररुप में लिखित में, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान उस तारीख के पश्चात किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख, से तीन मास के भीतर, किया जायेगा

परन्तु-

(क) सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो यथास्थिति, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को छुट्टी पर हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो उक्त विकल्प का प्रयोग इस नियम के अधीन विहित समय सीमा के भीतर या राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा।

(ख) जहां सेवा का कोई सदस्य, 1 जनवरी, 1996 को निलंबन के अधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो जो इस उपनियम में विहित की गई है।

(ग) इसके अतिरिक्त, जहां सेवा का कोई सदस्य 1-1-96 को कर्तव्य पर था और निलंबित कर दिया गया हो और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को भी निलंबित हो, वहां विकल्प का प्रयोग खण्ड (ख) में यथा उपबंधित रीति में किया जा सकेगा।

(घ) सेवा के वे सदस्य, जो 1-1-96 के पश्चात और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्ति हुये हों, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे।

(2) विकल्प सेवा के सदस्य द्वारा उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा।

(3) विकल्प प्राप्त होने पर, यथास्थिति, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। विकल्प, संबंधित सदस्य के सेवा अभिलेख के साथ रखा जायेगा।

(4) एक बार प्रयोग किया गंया विकल्प अंतिम होगा और यदि उसका प्रयोग उपनियम (1) में वर्णित समय के भीतर और विहित की गई रीति में नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उस सदस्य ने 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है। विकल्प में कांट-छांट या उपरी लेखन स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी.— (1) वे व्यक्ति, जिनकी सेवायें 1-1-96 को या उसके पश्चात समाप्त कर दी गई हैं और जो विहित की गई समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, मृत्यु हो जाने, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्ति कर दिये जाने, पद त्याग, पदच्युति अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार हैं।

टिप्पणी.— (2) सेवा के किसी सदस्य के, जिसकी मृत्यु 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व हो गयी हो या जिसकी इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात किन्तु विकल्प का प्रयोग करने के लिये विहित कालावधि के पूर्व विकल्प का प्रयोग किये बिना ही मृत्यु हो जाती है के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने उस वेतनमान के लिये विकल्प किया है जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसके लिये लाभप्रद समझा जाये और तद्नुसार उसका वेतन नियत किया जायेगा।

7. **पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का नियत किया जाना.**— उस सेवा के ऐसे सदस्य का जो नियम 6 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है, प्रारंभिक वेतन उस स्थिति में के सिवाय, जहां राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, निम्नलिखित रीति से नियत किया जायेगा, अर्थात :-

(एक) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन के 40 प्रतिशत के बराबर की राशि कर्मचारी की पूर्व नियत परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(दो) इस प्रकार से बढाई गई पूर्व नियत परिलब्धियों के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन, ठीक अगले प्रक्रम पर नियत किया जायेगा:

परन्तु--

(क) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम, पूर्व नियत परिलब्धियों से अधिक है तो वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जायेगा,

(ख) यदि पूर्व-नियत परिलब्धियों की रकम, पुनरीक्षित वेतनमान में किसी प्रक्रम के बराबर है, तो वेतन उस बराबरी के प्रक्रम पर नियत किया जायेगा,

(ग) यदि पूर्व-नियत परिलब्धियों की रकम, पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो वेतन उस वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जायेगा और अन्तर की रकम को व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा जिसे वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में समायोजित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी (1). जहां इस नियम के अधीन वेतन के नियतन में किसी विद्यमान वेतनमान में पांच से अधिक लगातार प्रक्रमों पर वेतन आहरित करने वाले सेवा के किसी सदस्य का वेतन का समूहीकरण हो जाता है अर्थात् पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम पर नियत हो जाता है तो वहां सेवा के ऐसे सदस्यों का जो विद्यमान वेतनमान में प्रथम पांच लगातार प्रक्रमों से ऊपर वेतन आहरित कर रहे हैं, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस प्रक्रम के ऊपर जहां ऐसा समूहीकरण उत्पन्न होता है निम्नलिखित रुप से वेतनवृद्धि मंजूर करके उस प्रक्रम तक बढ़ा दिया जायेगा जहां निम्नानुसार ऐसा समूहीकरण किया गया है, अर्थात्:-

(क) सेवा के उन सदस्यों के लिये जो विद्यमान वेतनमान में छठवें प्रक्रम से दसवें प्रक्रम तक वेतन आहरित कर रहे हैं-एक वेतन वृद्धि द्वारा।

(ख) सेवा के उन सदस्यों के लिये जो विद्यमान वेतनमान में ग्यारहवें प्रक्रम से पन्द्रहवें प्रक्रम तक वेतन आहरित कर रहे हों, यदि दसवें प्रक्रम से परे समूहीकरण है-दो वेतन वृद्धि द्वारा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन में वृद्धि किये जाने से यदि किसी शासकीय कर्मचारी का वेतन संशोधन पूर्व वेतनमान के उस चरण पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगले उच्च चरण या चरणों वाले वेतनमान वाले शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है तब ऐसी स्थिति में बाद वाले शासकीय कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जायेगा जितने कि वह पिछले वाले शासकीय कर्मचारी की तुलना में कम हो।

टिप्पणी (2).— सेवा के किसी सदस्य के मामले में, जिसने 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करते हुये विकल्प का प्रयोग किया है किन्तु जो उस तारीख को, किसी ऐसी शास्ति के, जिसमें यह उपबंध हो कि शास्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर उसका वेतन प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, अर्थात् संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि का रोका जाना और संचयी प्रभाव के बिना समय वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर अवनत किया जाना, के परिणामस्वरुप उस तारीख को घटा हुआ वेतन आहरित कर रहा था उसका वेतन निम्नलिखित दोनों प्रकार से नियत किया जायेगा:—

(क) 1-1-96 को वस्तुत: आहरित वेतन के आधार पर, और

(ख) उस वेतन के आधार पर, जो वह शास्ति के न होने की दशा में आहरित करता,

उपरोक्त (क) के अनुसार नियत पुनरीक्षित वेतन 1 जनवरी, 1996 से शास्ति की कालावधि समाप्त होने की तारीख तक अनुज्ञात किया जा सकेगा और उपरोक्त (ख) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ऐसी वेतनवृद्धियां यदि कोई हों, जो 1-1-96 से शास्ति की कालावधि समाप्त होने की तारीख के दौरान पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक रुप से शोध्य हुई होती, अनुज्ञात करने के पश्चात शास्ति की कालावधि समाप्त होने की तारीख से अनुज्ञात किया जायेगा। वेतनवृद्धि की तारीख नियम 8 के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

8. **पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख.**— सेवा के किसी ऐसे सदस्य को, जिसका वेतन नियम 7 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया गया है, आगामी वेतन वृद्धि उस तारीख को, जिस तारीख को वह अपनी वेतनवृद्धि उस दशा में आहरित करता जबकि वह विद्यमान वेतनमान में बना रहता या उस तारीख को, जिसको पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित की जाती, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, मंजूर की जायेगी।

परन्तु सेवा के किसी सदस्य की, जिसका वेतन 1 जनवरी, 1996 को उसी प्रक्रम पर नियत किया गया है जिस पर उससे कनिष्ठ किसी अन्य सदस्य का उसी काडर में वेतन नियत किया गया है और जो विद्यमान वेतनमान में उससे नीचे के प्रक्रम पर वेतन आहरित कर रहा है, आगामी वेतनवृद्धि उसी तारीख को मंजूर की जायेगी जो उसके कनिष्ठ के लिये अनुज्ञेय है यदि उसके कनिष्ठ की वेतनवृद्धि की तारीख उससे पूर्वतर हो :

9. **वेतन के बकाया का भुगतान.**— इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरुप पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 1 जनवरी, 98 से (अर्थात फरवरी 98 में देय माह जनवरी 98 का वेतन) नगद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 1-1-96 से या आगामी या पश्चातवर्ती वेतन वृद्धि की तारीख से निर्धारित वेतन पर देय कुल परिलब्धियों एवं विद्यमान वेतन पर प्राप्त कुल परिलब्धियों के दिनांक से 31-12-97 तक के अंतर की बकाया राशि एक पृथक खाते, जिसका ब्यौरा राज्य शासन द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा में रखी जाएगी, जिस पर राशि जमा होने के दिनांक से कर्मचारियों को भविष्य निधि के समान ब्याज देय होगा। इस राशि को 31-12-2002 को संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा:

परन्तु उक्त दिनांक के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/मृत्यु होने की स्थिति में इस खाते से तब तक की देय राशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में तत्समय अन्तरित कर दी जाएगी:

परन्तु यह और भी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी 1-1-96 के पश्चात तथा वेतन निर्धारण के दिनांक के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/मृत्यु हुई है और सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान भी किया गया है तो ऐसी स्थिति में बकाया राशि का भुगतान नगद किया जायेगा।

10. **शिथिल करने की शक्ति.**— सेवा के सदस्यों या सेवा के सदस्यों के प्रवर्ग के मामलों में इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्याय संगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन, जो यथास्थिति सेवा के किसी सदस्य या सदस्यों के किसी प्रवर्ग के लिये अलाभप्रद हों, प्रवर्तित नहीं किया जायेगा।

11. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

## विकल्प का प्ररुप

(नियम 6 देखिये)

मैं, ---------- एतद्द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रुपये ---------- का तारीख 1 जनवरी, 1996 से चयन करता हूँ।

**या**

मैं, ---------- एतद्द्वारा अपने मूल/स्थानापन्न पद ---------- के विद्यमान वेतनमान रुपये ---------- को।

* (क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक,

* या (ख) मेरा वेतन रुपये ---------- तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक

* या (ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान वेतनमान रुपये ---------- में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी रखने का चयन करता हूँ।

मैं (नाम) ----------उपरोक्त विकल्प 1-1-98 के पूर्व की बकाया देय राशि पृथक खाते में रखने एवं उसके आहरण की मांग 31-12-2002 के पूर्व (सेवा निवृति / सेवा मुक्ति / मृत्यु को छोड़कर) नहीं करने हेतु सहमत हूँ।

स्थान :-
तारीख :-

हस्ताक्षर ----------
नाम ----------
पदनाम ----------
कार्यालय जिसमें नियोजित है

---

* (जो लागू न हो, काट दीजिए)

**केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---------- (नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक ---------- को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर ----------
पदनाम ----------

## अनुसूची
(नियम 4 देखिये)

| क्र. | पद | विद्यमान वेतनमान | वेतनमान क्रमांक | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | कालम तीन में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतनमानों के समस्त पद | 750-12-870-15-945 | (1) | 2550-55-2660-60-3200 |
| 2. | तदैव | 775-12-871-15-1036 | (2) | 2610-60-3150-65-3540 |
| 3. | तदैव | 825-15-900-20-1220 | (3) | 2750-70-3800-75-4400 |
| 4. | तदैव | 950-25-1000-30-1210-40-1530 | (4) | 3050-75-3950-80-4590 |
| 5. | तदैव | 1150-30-1210-40-1450-50-1800 | | |
| 6. | तदैव | 1200-40-1440-50-2040 | (5) | 4000-100-6000 |
| 7. | तदैव | 1400-40-1440-50-2340 | (6) | 4500-125-7000 |
| 8. | तदैव | 1400-40-1440-50-2340-60-2640 | (7) | 5000-150-8000 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
डॉ. राजन कटोच
सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय

=====

क्रमांक बी.27/4/98/सी/चार, भोपाल, दिनांक [redacted] जून, 1998

प्रति,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश ।

======

विषय:- दिनांक 1/1/96 से कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 ।

====

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1/1/96 से स्वीकृत नवीन {पुनरीक्षित} वेतनमानों में वेतन निर्धारण संबंधी नियम म0प्र0 राजपत्र {असाधारण} में प्रकाशित किये गये हैं, की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- ।

{के0 एन0 पन्त}
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग.

# मध्यप्रदेश शासन
## वित्त विभाग

क्रमांक जी- 27/4/98/ती/चार भोपाल, दिनांक 26 जून 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- दिनांक 1-1-96 से कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये स्वीकृत नवीन (पुनरीक्षित) वेतनमानों में वेतन नियतन बाबत निर्देश।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-1-96 से स्वीकृत नवीन (पुनरीक्षित) वेतनमानों में मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत वेतन नियतन के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

(1) प्रत्येक कार्यालय प्रमुख (हेड आफ आफिस) द्वारा यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाकर मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न वेतन नियतन पत्रक (प्रपत्र-एक) में नवीन (पुनरीक्षित) वेतनमानों में वेतन नियतन कर 1-1-98 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का भुगतान किया जावे, बशर्ते कि कार्यालय प्रमुख द्वारा संलग्न प्रपत्र (प्रपत्र-दो) के अनुसार संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को यह प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है कि उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का नवीन (पुनरीक्षित) वेतनमानों में वेतन नियतन किया जाकर वेतन नियतन प्रकरण जांच के लिये तैयार है। इस प्रमाण पत्र में उन कर्मचारियों की संख्या की जानकारी, जिनका वेतन नियतन किया गया है, दी जाना है। इसकी एक प्रति विभागाध्यक्ष को भी पृष्ठांकित की जावे। कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल के आगमन पर दल के समक्ष समस्त प्रकरण आवश्यक अभिलेखों के साथ बगैर किसी विलंब के प्रस्तुत किये जावें। राज्य शासन चूंकि इस कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिये उत्सुक है, अत: संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दलों को पूर्ण सहयोग दिया जावे ताकि

उनके द्वारा यह कार्य शीध्रता से पूर्ण हो सके। यदि वेतन नियतन दलों के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे गंभीरता से लिया जावेगा। वेतन नियतन दलों के आगमन की सूचना एवं कार्यक्रम की जानकारी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यालय से प्राप्त होगी। संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दलों द्वारा जो वेतन नियतन अंतिम किया जावेगा, उसमें से कुछ प्रतिशत प्रकरण जैसा कि महालेखाकार द्वारा विनिश्चित किया जावे, महालेखाकार कार्यालय के आडिट दलों द्वारा परीक्षण किये जा सकेंगे।

(2) मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के नियम-6 के अनुसार इस सेवा के सदस्य को यह विकल्प है कि यदि वह चाहे तो विद्यमान वेतनमान में ही बना रहे। विकल्प कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किये जाना है। ऐसे कर्मचारियों की ओर से विकल्प प्रस्तुत होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा (अथवा उनके अधीनस्थ अन्य कोई अधिकारी जिन्हें वह नामजद करें, द्वारा) विकल्प उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि अंकित करके निम्न प्रकार प्रति हस्ताक्षरित किया जावेगा:-

कार्यालय में विकल्प प्राप्ति का दिनांक ------ (दिनांक अंकों एवं शब्दों में लिखा जावे)

(कार्यालय प्रमुख)

पद मुद्रा

(3) प्रत्येक कर्मचारी का वेतन नियतन पत्रक चार प्रतियों में तैयार किया जावे, जिसमें से एक प्रति कार्यालय में संदर्भ हेतु रखी जावेगी, दूसरी प्रति अवशेष वेतन देयक के साथ संलग्न की जावे। शेष दो प्रतियां संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल को सेवा पुस्तिका आदि के साथ प्रस्तुत की जावे। वे यथा आवश्यकता एक प्रति रख कर दूसरी प्रति आवश्यक टीका टिप्पणी सहित प्रस्तुतकर्त्ता कार्यालय को वापस करेगें। वेतन नियतन दलों द्वारा संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी वेतन नियतन की मुद्रा अंकित की जावेगी, जिसमें किये गये वेतन नियतन आगामी वेतन वृद्धि की तिथि आदि से संबंधित जानकारी अंकित होगी।

(4) कार्यालय प्रमुख द्वारा कंडिका (1) में बताये अनुसार वेतन नियतन किये जाने के पश्चात् वेतन नियतन के फलस्वरुप देय राशि का भुगतान दिनांक 1-1-98 से (जनवरी, 1998 का वेतन जो फरवरी, 1998 में देय होता है) किया जावेगा। दिनांक 31-12-97 के पूर्व की बकाया राशि

मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के नियम 9 अनुसार एक पृथक खाते में रखी जायेगीं।

(5) यह संभव है कि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन के कारण कतिपय प्रकरणों में अधिक भुगतान हो जावे, जो कि बाद में वसूली योग्य होगा। अत: कार्यालय प्रमुख को चाहिए कि वे सभी कर्मचारियों को स्पष्ट कर दें कि पुनरीक्षित वेतनमान में नियत वेतन अंतिम नहीं है और वह संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल द्वारा की गई जांच के प्रकाश में बदलनें की संभावना है। अत: यदि कोई अधिक भुगतान होगा तो वह कर्मचारियों को बाद में भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि से वसूल किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन संबंधित कर्मचारी द्वारा दोषपूर्ण जानकारी देने, वांछित तथ्य छुपाने अथवा अन्य अनियमित तरीकों से कराया गया है तो बकाया राशि पर 14 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी देय होगा। इस आशय का लिखित वचन पत्र (Undertaking) प्रत्येक कर्मचारी से अवशेष राशि का भुगतान करने के पूर्व प्राप्त होने पर ही अवशेष राशि का भुगतान किया जावे। वचन पत्र (Undertaking) का नमूना संलग्न है। (प्रपत्र-3)

यदि इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी की गलती से हुआ है तो उक्त कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी से अधिक भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि दण्ड स्वरुप वसूली योग्य होगी।

(6) ऐसे अस्थाई कर्मचारी जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से कम हो एवं ऐसे कर्मचारी जो 30-9-98 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, से उपरोक्त कंडिका-5 में उल्लेखित वचन पत्र (Undertaking) के अलावा दो स्थाई शासकीय सेवकों की, जो दिनांक 30-9-98 के पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले न हों, प्रतिभूति (Surety) (प्रपत्र-चार) प्राप्त कर ली जावे, किन्तु जिन कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत हुआ हों, उन प्रकरणों में प्रतिभूति आवश्यक नहीं होगी। अस्थाई कर्मचारियों से दो स्थाई शासकीय सेवकों की प्रतिभूति (Surety) जो दिनांक 30-9-98 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले न हों, यथासंभव प्राप्त की जावे। किन्तु यदि यह संभव न हो तो संबंधित शासकीय सेवक उन अस्थाई शासकीय सेवकों की प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकता है जो अर्द्धस्थाई हों अथवा जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी दिनांक 30-9-98 तक सेवा में बने रहने की संभावना हो। निर्धारित प्रपत्र में वचन पत्र

(Undertaking) एवं प्रतिभूति सेवा पुस्तिका के साथ रखे जावे। प्रत्येक वेतन नियतन प्रकरण की जांच संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के दलों से कराया जाना आवश्यक है तथा अनुमोदित वेतन नियतन पत्रक संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के साथ चिपका दिया जावे।

(7) ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1-1-96 के पश्चात किन्तु आदेशों के जारी होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे कंडिका-5 में उल्लिखित वचन पत्र (Undertaking) प्राप्त कर अवशेष देय राशि का भुगतान कर दिया जावे। ऐसे कर्मचारियों के पेंशन/ग्रेच्यूटी के प्रकरण मय पुनरीक्षित अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं आवश्यक वेतन नियतन पत्रक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सहित परिपूर्ण रुप से संबंधित संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र भेजे जावे। वे किये गये वेतन नियतन की जांच कर प्रकरण संबंधित कार्यालय को लौटावेंगे तथा संबंधित कार्यालय तदनुसार पेंशन प्रकरण तैयार कर संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को प्रस्तुत करेंगे। त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन के कारण यदि कोई वसूली योग्य राशि हुई तो वह देय ग्रेच्युटी से समायोजित कर ली जावेगी। कंडिका-6 में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन अवशेष देय राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(8) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-96 को सेवा में थे किन्तु अब सेवा छोड़ चुके हैं, उनके मामले में भी अवशेष देय राशि का पूरा भुगतान मामलो मे किया जावे। ऐसे कर्मचारियों के मामले में अवशेष राशि का भुगतान संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल द्वारा वेतन निर्धारण की जांच होने के पश्चात् किया जावेगा। अत: ऐसे प्रकरणों को पृथक से संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यालय को भेजकर प्रस्तावित वेतन नियतन का अनुमोदन कराने के बाद अवशेष राशि का वितरण किया जावे।

(9) प्रत्येक अवशेष वेतन देयक के साथ अन्य सामान्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इन प्रमाण पत्रों के बगैर कोषालय द्वारा देयक भुगतान हेतु पारित नहीं किये जायेंगे:-

(क) यह प्रमाण पत्र कि जिन कर्मचारियों के स्वत्व अवशेष वेतन देयक में सम्मिलित किये गये हैं, उनके वेतन नियतन प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सेवा अभिलेख सहित, जो कि जांच के लिये आवश्यक है, जांच हेतु तैयार है तथा

इसकी सूचना संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन/विभागध्यक्ष को इस कार्यालय के क्रमांक ----दिनांक ------द्वारा दे दी गई है।

(ख) यह प्रमाण पत्र कि प्रत्येक ऐसे कर्मचारी जिनका स्वत्व इस देयक में सम्मिलित किया गया है, ने निर्धारित प्ररुप में आवश्यक वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) अस्थाई कर्मचारियों के संबंध में यह प्रमाण-पत्र कि जिनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन से ऊपर वाली स्टेज पर नियत हो रहा है तथा ऐसे स्थायी कर्मचारी जो दिनांक 30-9-98 तक सेवा निवृत होने वाले हैं, के संबंध में आवश्यक प्रतिभूति प्राप्त कर ली गई है।

10. पुनरीक्षित वेतनमानों के फलस्वरुप मूल वेतन में काफी परिवर्तन होगा परन्तु इसके कारण गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र आवास भत्ता, प्रतिनियुक्ति वेतन इत्यादि विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं की राशि में तदनुसार वृद्धि नहीं की जानी है वरन् पूर्व के वेतनमान में तथा जिस दर पर यह भत्ते/सुविधायें दी जा रही है, उसी वेतनमानों में वेतन निर्धारण मानते हुये उसी दर पर यह भत्ते एवं सुविधायें आगामी आदेश तक दी जाती रहेंगी तथा उन्हें पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार नियत किये गये मूल वेतन पर प्रगणित नहीं किया जायेगा।

इसी प्रकार यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधायें जो मूल वेतन से जुड़ी हुई है वह भी पूर्व के वेतनमान के वेतन के आधार पर ही दी जावेगी।

पुनरीक्षित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ते की दरें पृथक से जारी की जायेगी।

11. मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अनुसूची एक में उल्लेखित 8 विद्यमान वेतनमानों के लिए स्वीकृत तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन नियतन संबंधी 7 वेतन नियतन तालिकाएं संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

डॉ0 राजन कटोच
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक जी-27 / 4/98/सी/चार भोपाल, दिनांक 26 जून 1998

प्रतिलिपि : -

| | |
|---|---|
| 1 | **शासन के समस्त विभाग** |
| 2 | **अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर** |
| 3 | **समस्त कमिश्नर** |
| 4 | **समस्त विभागाध्यक्ष** |
| 5 | **समस्त कलेक्टर** |
| 6. | राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल । |
| 7. | रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर । |
| 8. | सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल । |
| 9. | सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर । |
| 10. | सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल । |
| 11. | नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल को अधिसूचना राजपत्र भाग- 4 (ग) में प्रकाशन के लिए। |
| 12. | महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल । |
| 13. | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा)/वेतन आयोग प्रकोष्ठ भोपाल। |
| 14. | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल । |
| 15. | मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल । |
| 16. | सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, मध्यप्रदेश । |
| 17. | सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश । |
| 18. | सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश । |
| 19. | समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी मध्यप्रदेश। |

( के.एन. पन्त )
**अवर सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

## प्रपत्र--एक

मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत वेतन नियतन पत्रक

1. नाम
2. पदनाम
3. वेतन स्थाई/स्थानापन्न
4. नियम-6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियतन का दिनांक
5. विद्यमान वेतनमान
6. नियम 7 के अनुसार वेतन नियतन हेतु विद्यमान वेतनमान की पूर्व-नियत परिलब्धियां

(अ) मूल वेतन

(ब) मूल वेतन पर दिनांक 1-1-96 को मूल्य सूचकांक के औसत 1510 पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता

(स) अंतरिम राहत की प्रथम किश्त की राशि (रुपये 75/-)

(द) अंतरिम राहत की द्वितीय किश्त की राशि (मूल वेतन का 10% न्यूनतम रुपये 100/-)

(इ) मूल वेतन पर 40 प्रतिशत फिटमेन्ट वेटेज

7. विद्यमान वेतनमान की पूर्व नियत परिलब्धियों का योग (अ+ब+स+द+इ)
8. कालम (5) में अंकित विद्यमान वेतनमान का तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतनमान
9. पुनरीक्षित वेतनमान में नियत वेतन
10. आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं सील

दिनांक --------

## प्रपत्र-दो

दिनांक 1-1-96 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों के अंतर्गत जांच के लिये वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या सूचक जानकारी का पत्रक

कार्यालय का नाम ----------

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों का दिनांक 1-1-96 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियतन किया जाकर उनके वेतन नियतन प्रकरण जांच के लिये तैयार है।

| नाम स्थान तथा जिला जहां कार्यालय अवस्थित है | कार्यालय में पुनरीक्षित वेतनमानों में कुल वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या | वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या जो जांच के लिये तैयार है | अवशेष प्रकरणों की संख्या (2-3) | जांच के लिये प्रकरण तैयार न होने के कारण |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख एवं
पद मुद्रा
दिनांक ----------

क्रमांक--------

प्रतिलिपि:-

(1) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, ----------

(2) विभागाध्यक्ष ----------

कार्यालय प्रमुख

**प्रपत्र-तीन**

वचन पत्र ( **Undertaking** )

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 1-1-96 से स्वीकृत मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतनमान में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं सहमत हूं कि मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के नियम 9 अनुसार दिनांक 1-1-96 से दिनांक 31-12-97 तक की देय बकाया राशि, जो राज्य शासन द्वारा एक पृथक खाते में रखी जायेगी, से दिनांक 31-12-2002 तक (सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/मृत्यु के प्रकरणों को छोड़कर) आहरण/अंतरण की मांग नहीं कर सकूंगा/सकूंगी। मैं वचन देता/देती हूं कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में एतराज के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई हो, एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि यदि मैं उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूं, तो इस देय राशि की वापिसी के लिये मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूं। मैं यह भी सहमति देता/देती हूं कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे।

साक्षी :- हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी

हस्ताक्षर : पदनाम

पता :- स्थान

दिनांक ..... दिनांक .....

## प्रपत्र-चार
## प्रतिभूति पत्र का प्ररुप

दिनांक 30 सितम्बर, 1998 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले (X) स्थाई/अस्थाई कर्मचारी श्री/श्रीमती/कुमारी----------पदनाम ---------- -- कार्यालय ---------- को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक -------- से दिनांक ------ तक रुपये -------- रुपये ---------- (शब्दों में) की बकाया राशि (एरियर) का भुगतान किया जा रहा है।

हम श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- एवं श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- कार्यालय ------ ------की स्थापना के स्थाई कर्मचारी तथा क्रमशः रुपये -------- रुपये -------- प्रतिमाह आहरण करते हुये श्री/श्रीमती/कुमारी ----------को प्रतिभू होने के लिये यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- ----------अधिक भुगतान की गई राशि तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई राशि,यदि कोई हो, को लौटाने में असमर्थ रहेंगे तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु आबद्ध करते हैं। हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रुप से या अलग-अलग भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे।

आज दिनांक ---------- माह ---------- सन 1998 को हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षी :-

हस्ताक्षर :

1. ----------
नाम ----------
पदनाम ----------
2. ----------
नाम ----------
पदनाम ----------

1. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम व पद नाम ----------
2. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम ----------

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम ----------

(कार्यालय प्रमुख)

(X) जो लागू न हो उसे काट दीजिये

## तालिका - 1

**वर्तमान वेतन मान - 750-12-870-15-945**
**नवीन वेतन मान - 2550-55-2660-60-3200**

| मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 300 | 1110 | 175 | 2335 | 2550 | 2550 |
| 762 | 305 | 1128 | 175 | 2370 | 2550 | 2550 |
| 774 | 310 | 1146 | 175 | 2405 | 2550 | 2550 |
| 786 | 314 | 1163 | 175 | 2438 | 2550 | 2550 |
| 798 | 319 | 1181 | 175 | 2473 | 2550 | 2550 |
| 810 | 324 | 1199 | 175 | 2508 | 2550 | 2605 |
| 822 | 329 | 1217 | 175 | 2543 | 2550 | 2605 |
| 834 | 334 | 1234 | 175 | 2577 | 2605 | 2605 |
| 846 | 338 | 1252 | 175 | 2611 | 2660 | 2660 |
| 858 | 343 | 1270 | 175 | 2646 | 2660 | 2660 |
| 870 | 348 | 1288 | 175 | 2681 | 2720 | 2720 |
| 885 | 354 | 1310 | 175 | 2724 | 2780 | 2780 |
| 900 | 360 | 1332 | 175 | 2767 | 2780 | 2780 |
| 915 | 366 | 1354 | 175 | 2810 | 2840 | 2840 |
| 930 | 372 | 1376 | 175 | 2853 | 2900 | 2900 |
| 945 | 378 | 1399 | 175 | 2897 | 2900 | 2900 |
| * 960 | 384 | 1421 | 175 | 2940 | 2960 | 2960 |
| * 975 | 390 | 1443 | 175 | 2983 | 3020 | 3020 |

अंतिम दो लाईने प्रथम तथा द्वितीय गतिरोध भत्ता को जोड़कर दी गई है।

तालिका - 2

वर्तमान वेतन मान - 775-12-871-15-1036

नवीन वेतन मान - 2610-60-3150-65-3540

| | मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 775 | 310 | 1147 | 175 | 2407 | 2610 | 2610 |
| | 787 | 315 | 1165 | 175 | 2442 | 2610 | 2610 |
| | 799 | 320 | 1183 | 175 | 2477 | 2610 | 2610 |
| | 811 | 324 | 1200 | 175 | 2510 | 2610 | 2610 |
| | 823 | 329 | 1218 | 175 | 2545 | 2610 | 2610 |
| | 835 | 334 | 1236 | 175 | 2580 | 2610 | 2610 |
| | 847 | 339 | 1254 | 175 | 2615 | 2610 | 2670 |
| | 859 | 344 | 1271 | 175 | 2649 | 2670 | 2670 |
| | 871 | 348 | 1289 | 175 | 2683 | 2670 | 2670 |
| | 886 | 354 | 1311 | 175 | 2726 | 2730 | 2730 |
| | 901 | 360 | 1333 | 175 | 2769 | 2730 | 2730 |
| | 916 | 366 | 1356 | 175 | 2813 | 2790 | 2790 |
| | 931 | 372 | 1378 | 175 | 2856 | 2850 | 2850 |
| | 946 | 378 | 1400 | 175 | 2899 | 2910 | 2910 |
| | 961 | 384 | 1422 | 175 | 2942 | 2910 | 2910 |
| | 976 | 390 | 1444 | 175 | 2985 | 2970 | 2970 |
| | 991 | 396 | 1467 | 175 | 3029 | 3030 | 3030 |
| | 1006 | 402 | 1489 | 176 | 3073 | 3030 | 3030 |
| | 1021 | 408 | 1511 | 177 | 3117 | 3090 | 3090 |
| | 1036 | 414 | 1533 | 179 | 3162 | 3150 | 3150 |
| * | 1051 | 420 | 1555 | 180 | 3206 | 3215 | 3215 |
| * | 1066 | 426 | 1578 | 182 | 3252 | 3215 | 3280 |

* अंतिम दो लाइनें प्रथम तथा द्वितीय गतिरोध भत्ता को जोड़कर दी गई है।

तालिका - 3

वर्तमान वेतन मान - 825-15-900-20-1220
नवीन वेतन मान - 2750-70-3800-75-4400

| मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 330 | 1221 | 175 | 2551 | 2750 | 2750 |
| 840 | 336 | 1243 | 175 | 2594 | 2750 | 2750 |
| 855 | 342 | 1265 | 175 | 2637 | 2750 | 2750 |
| 870 | 348 | 1288 | 175 | 2681 | 2750 | 2750 |
| 885 | 354 | 1310 | 175 | 2724 | 2750 | 2750 |
| 900 | 360 | 1332 | 175 | 2767 | 2820 | 2820 |
| 920 | 368 | 1362 | 175 | 2825 | 2890 | 2890 |
| 940 | 376 | 1391 | 175 | 2882 | 2890 | 2890 |
| 960 | 384 | 1421 | 175 | 2940 | 2960 | 2960 |
| 980 | 392 | 1450 | 175 | 2997 | 3030 | 3030 |
| 1000 | 400 | 1480 | 175 | 3055 | 3100 | 3100 |
| 1020 | 408 | 1510 | 177 | 3115 | 3170 | 3170 |
| 1040 | 416 | 1539 | 179 | 3174 | 3240 | 3240 |
| 1060 | 424 | 1569 | 181 | 3234 | 3240 | 3240 |
| 1080 | 432 | 1598 | 183 | 3293 | 3310 | 3310 |
| 1100 | 440 | 1628 | 185 | 3353 | 3380 | 3380 |
| 1120 | 448 | 1658 | 187 | 3413 | 3450 | 3450 |
| 1140 | 456 | 1687 | 189 | 3472 | 3520 | 3520 |
| 1160 | 464 | 1717 | 191 | 3532 | 3590 | 3590 |
| 1180 | 472 | 1746 | 193 | 3591 | 3660 | 3660 |
| 1200 | 480 | 1776 | 195 | 3651 | 3660 | 3660 |
| 1220 | 488 | 1806 | 197 | 3711 | 3730 | 3730 |
| * 1240 | 496 | 1835 | 199 | 3770 | 3800 | 3800 |
| * 1260 | 504 | 1865 | 201 | 3830 | 3875 | 3875 |

* अंतिम दो लाईनें प्रथम तथा द्वितीय गतिरोध भत्ता को जोड़कर दी गई है।

तालिका - 4 (अ)

वर्तमान वेतन मान - 950-25-1000-30-1210-40-1530
नवीन वेतन मान - 3050-75-3950-80-4590

| मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 380 | 1406 | 175 | 2911 | 3050 | 3050 |
| 975 | 390 | 1443 | 175 | 2983 | 3050 | 3050 |
| 1000 | 400 | 1480 | 175 | 3055 | 3125 | 3125 |
| 1030 | 412 | 1524 | 178 | 3144 | 3200 | 3200 |
| 1060 | 424 | 1569 | 181 | 3234 | 3275 | 3275 |
| 1090 | 436 | 1613 | 184 | 3323 | 3350 | 3350 |
| 1120 | 448 | 1658 | 187 | 3413 | 3425 | 3425 |
| 1150 | 460 | 1702 | 190 | 3502 | 3575 | 3575 |
| 1180 | 472 | 1746 | 193 | 3591 | 3650 | 3650 |
| 1210 | 484 | 1791 | 196 | 3681 | 3725 | 3725 |
| 1250 | 500 | 1850 | 200 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 1290 | 516 | 1909 | 204 | 3919 | 3950 | 3950 |
| 1330 | 532 | 1968 | 208 | 4038 | 4110 | 4110 |
| 1370 | 548 | 2028 | 212 | 4158 | 4190 | 4190 |
| 1410 | 564 | 2087 | 216 | 4277 | 4350 | 4350 |
| 1450 | 580 | 2146 | 220 | 4396 | 4430 | 4430 |
| 1490 | 596 | 2205 | 224 | 4515 | 4590 | 4590 |
| 1530 | 612 | 2264 | 228 | 4634 | 4590 | 4590 |
| * 1570 | 628 | 2324 | 232 | 4754 | 4590 | 4590 |
| * 1610 | 644 | 2383 | 236 | 4873 | 4590 | 4590 |

अंतिम दो लाईने प्रथम तथा द्वितीय गतिरोध भत्ता को जोड़कर दी गई है।

## तालिका - 4 (ख)

वर्तमान वेतन मान - 1150-30-1210-40-1450-50-1800

नवीन वेतन मान - 3050-75-3950-80-4590

| मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 460 | 1702 | 190 | 3502 | 3575 | 3575 |
| 1180 | 472 | 1746 | 193 | 3591 | 3650 | 3650 |
| 1210 | 484 | 1791 | 196 | 3681 | 3725 | 3725 |
| 1250 | 500 | 1850 | 200 | 3800 | 3875 | 3875 |
| 1290 | 516 | 1909 | 204 | 3919 | 3950 | 3950 |
| 1330 | 532 | 1968 | 208 | 4038 | 4110 | 4110 |
| 1370 | 548 | 2028 | 212 | 4158 | 4190 | 4190 |
| 1410 | 564 | 2087 | 216 | 4277 | 4350 | 4350 |
| 1450 | 580 | 2146 | 220 | 4396 | 4430 | 4430 |
| 1500 | 600 | 2220 | 225 | 4545 | 4590 | 4590 |
| 1550 | 620 | 2294 | 230 | 4694 | 4590 | 4590 |
| 1600 | 640 | 2368 | 235 | 4843 | 4590 | 4590 |
| 1650 | 660 | 2442 | 240 | 4992 | 4590 | 4590 |
| 1700 | 680 | 2516 | 245 | 5141 | 4590 | 4590 |
| 1750 | 700 | 2590 | 250 | 5290 | 4590 | 4590 |
| 1800 | 720 | 2664 | 255 | 5439 | 4590 | 4590 |
| * 1850 | 740 | 2738 | 260 | 5588 | 4590 | 4590 |
| * 1900 | 760 | 2812 | 265 | 5737 | 4590 | 4590 |

[illegible] प्रथम तथा द्वितीय [illegible] भत्ता को जोड़ [illegible] गई है।

## तालिका -5

वर्तमान वेतन मान - 1200-40-1440-50-2040

नवीन वेतन मान - 4000-100-6000

| | मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 480 | 1776 | 195 | 3651 | 4000 | 4000 |
| | 1240 | 496 | 1835 | 199 | 3770 | 4000 | 4000 |
| | 1280 | 512 | 1894 | 203 | 3889 | 4000 | 4000 |
| | 1320 | 528 | 1954 | 207 | 4009 | 4100 | 4100 |
| | 1360 | 544 | 2013 | 211 | 4128 | 4200 | 4200 |
| | 1400 | 560 | 2072 | 215 | 4247 | 4300 | 4300 |
| | 1440 | 576 | 2131 | 219 | 4366 | 4400 | 4400 |
| | 1490 | 596 | 2205 | 224 | 4515 | 4600 | 4600 |
| | 1540 | 616 | 2279 | 229 | 4664 | 4700 | 4700 |
| | 1590 | 636 | 2353 | 234 | 4813 | 4900 | 4900 |
| | 1640 | 656 | 2427 | 239 | 4962 | 5000 | 5000 |
| | 1690 | 676 | 2501 | 244 | 5111 | 5200 | 5200 |
| | 1740 | 696 | 2575 | 249 | 5260 | 5300 | 5300 |
| | 1790 | 716 | 2649 | 254 | 5409 | 5500 | 5500 |
| | 1840 | 736 | 2723 | 259 | 5558 | 5600 | 5600 |
| | 1890 | 756 | 2797 | 264 | 5707 | 5800 | 5800 |
| | 1940 | 776 | 2871 | 269 | 5856 | 5900 | 5900 |
| | 1990 | 796 | 2945 | 274 | 6005 | 6000 | 6000 |
| | 2040 | 816 | 3019 | 279 | 6154 | 6000 | 6000 |
| * | 2090 | 836 | 3093 | 284 | 6303 | 6000 | 6000 |
| * | 2140 | 856 | 3167 | 289 | 6452 | 6000 | 6000 |

अंतिम दो लाईने प्रथम तथा द्वितीय गतिरोध भत्ता को जोड़ कर दी गई है।

13

तालिका -6

वर्तमान वेतन मान - 1400-40-1440-50-2340
नवीन वेतन मान - 4500-125-7000

| मूल वेतन | मूल वेतन का 40 प्रतिशत | 1.1.96 को देय मंहगाई भत्ता | •अन्तरिम राहत प्रथम तथा द्वितीय | योग | नवीन वेतनमान की अगली स्टेज | नवीन वेतनमान में 1.1.96 को वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 560 | 2072 | 215 | 4247 | 4500 | 4500 |
| 1440 | 576 | 2131 | 219 | 4366 | 4500 | 4500 |
| 1490 | 596 | 2205 | 224 | 4515 | 4625 | 4625 |
| 1540 | 616 | 2279 | 229 | 4664 | 4750 | 4750 |
| 1590 | 636 | 2353 | 234 | 4813 | 4875 | 4875 |
| 1640 | 656 | 2427 | 239 | 4962 | 5000 | 5000 |
| 1690 | 676 | 2501 | 244 | 5111 | 5125 | 5125 |
| 1740 | 696 | 2575 | 249 | 5260 | 5375 | 5375 |
| 1790 | 716 | 2649 | 254 | 5409 | 5500 | 5500 |
| 1840 | 736 | 2723 | 259 | 5558 | 5625 | 5625 |
| 1890 | 756 | 2797 | 264 | 5707 | 5750 | 5750 |
| 1940 | 776 | 2871 | 269 | 5856 | 5875 | 5875 |
| 1990 | 796 | 2945 | 274 | 6005 | 6125 | 6125 |
| 2040 | 816 | 3019 | 279 | 6154 | 6250 | 6250 |
| 2090 | 836 | 3093 | 284 | 6303 | 6375 | 6375 |
| 2140 | 856 | 3167 | 289 | 6452 | 6500 | 6500 |
| 2190 | 876 | 3241 | 294 | 6601 | 6625 | 6625 |
| 2240 | 896 | 3315 | 299 | 6750 | 6750 | 6750 |
| 2290 | 916 | 3389 | 304 | 6899 | 7000 | 7000 |
| 2340 | 936 | 3463 | 309 | 7048 | 7000 | 7000 |
| * 2390 | 956 | 3537 | 314 | 7197 | 7000 | 7000 |
| * 2440 | 976 | 3611 | 319 | 7346 | 7000 | 7000 |

अंतिम दो लाईने प्रथम तथा द्वितीय [illegible] भत्ता को जोड़ कर दी गई है।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक सी-6-5-97-3-एक, भोपाल, दिनांक 23.02.02

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

1187
30/5/02

विषय:-संभागों में कार्यरत समस्त विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों पर लघु शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार आयुक्तों को दिया जाना ।

संदर्भ :-सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997 को अतिष्ठित करते हुए, संभाग में कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों को लघुशास्ति अधिरोपित करने के अधिकार संभागायुक्तों को किंचित संशोधन उपरांत जारी किये गये है । म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11.01.2000 की प्रति संलग्न है. ।

Estt
AE

हस्ता0/-
(एम0 के0 वार्ष्णेय)
अतिरिक्त सचिव,
म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
भोपाल - 462004.

पृ0क्र0/3/स्था/एफ/02/ 1076 /भोपाल, दिनांक 14.5.02

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1/ प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थायें, म0प्र0।
2/ संचालनालय के समस्त उपविभाग ।
3/ संचालक जी के वरिष्ठ निज सहायक ।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश.

—=:0:=—

अचिनत/6502.